अंक ४४ नई दिल्ली, अक्टूबर २०१३ [निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'पुलिकर्मी को समझना चाहिए कि वह समाज को एक प्रीपेड सर्विस उपलब्ध करा रहा है'

डॉ. एम. के. देवराजन

डॉ. एम. के. देवराजन, सदस्य, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग तथा पूर्व ए.डी.जी.पी. राजस्थान से पुलिसिंग और मानवाधिकारों से सम्बन्धित विषयों पर ज़ीनत मलिक द्वारा ई–मेल से लिये गये साक्षात्कार का दूसरा एंव अंतिम भाग यहां प्रस्तूत किया जा रहा है।

सक्रिय पुलिसिंग में अपने कार्यकाल के दौरान क्या पुलिस के रूझान, उनकी मानसिकता को अतिसिंवेदनशील वर्गों (विशेषकर महिलाओं) की समस्याओं को समझने और उनके साथ सभ्य व्यवहार करने कि दिशा में, आपने कोई प्रयास किया है? यदि हां, इसके बारे में कृप्या विस्तारपूर्वक बतायें?

मैंने वर्ष २००४ से २००६ तक राजस्थान पुलिस के सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य किया। इस दौरान ३ साल अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस कार्मिक के पद पर भी कार्य किया। इस अवधि में मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार के करीब २०० प्रशिक्षण कार्यक्रम सॉफ़्ट स्किल डेव्लप्मेंट के लिए आयोजित किये गये जो सारे पुलिस स्टेशनों पर पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए थे। इसके साथ–साथ मेरे द्वारा करीब १०० कांस्टेबलों को peer counseling के लिए प्रशिक्षण दिया जाकर उपयोग में लिया गया। इसके अलावा उसी अवधि में राज. पुलिस द्वारा अनेक प्रकार के सामुदायिक पुलिस कार्यक्रम लागू किये गये थे। उस वक्त राज. पुलिस को पूरे भारत में सामुदायिक पुलिस में सबसे बेहतर मानते थे तथा हमें इसके लिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मिले। राज. पुलिस द्वारा ४० थानों के लिए आई.एस.ओ. सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया था जिससे भी पुलिस के संवेदनशीलता बढ़ती है। यह समस्त कार्यक्रम पुलिसकर्मियों की मानसिकताओं पर बदलाव लाने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने में काफी लाभदायक थे। मेरे अध्ययन के आधार पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु पूरे देश में सबसे अच्छा कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी द्वारा वहां के २ जिलों में चलाया गया ''परिवर्तन'' नामक कार्यक्रम था। उक्त कार्यक्रम को हमने जयपुर शहर में भी शुरू कराया था। उसी कार्यक्रम पर आधारित एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट माइक्रोमिशन–२ द्वारा तैयार किया जा रहा है।

आपके अनुसार थाना स्तर पर पुलिस कर्मियों में किन विशेष गुणों और कौशलों का होना आवश्यक है जिससे जनता का पुलिस में विश्वास बना रहे। इन कौएसशलों को उनमे किस प्रकार विकसित किया जा सकता है?

Ph.D के लिए मेरा विषय 'Attitudinal Changes for Better Policing' था। मैंने यह विषय इसलिए चुना था कि मैं मानता हूं कि एक पुलिसकर्मी की सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी सकारात्मक सोच है। इसके अतिरिक्त पुलिसकर्मी को संवेदनशील एवं निष्पक्ष रहकर काम करना है। पुलिसकर्मी द्वारा किये जा रहे काम के ऊपर किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हर समय निगरानी नहीं रख सकते हैं। अतः पुलिसकर्मी जितना आत्म प्रेरित होगा उतना बेहतर कार्य कर पायेगा। इन विशेष गुणों और कौशलों को विकसित करने हेतु सॉफ़्ट स्किल ट्रेनिंग तथा काउंसलिंग दोनों काफी लाभप्रद हैं। पुलिसकर्मी को एक Service-oriented attitude develop करना चाहिए तथा हर समय जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि वह समाज को एक प्री–पेड सर्विस उपलब्ध करा रहा है जिसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इसके साथ–२ प्रत्येक कर्मी को जो कार्य वह कर रहा है उसको सही ढंग से करने हेतु प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है। मैं व्यक्तिगत रूप से फेडरिक विन्सलों टेलर की इन पंक्तियो का अनुसरण करता हूं एवं आपको भी इसके अनुकरण का सुझाव दूंगा 'जीवन में 'आनन्द' को कर्तव्य बनाने की अपेक्षा कर्तव्य को 'आनन्द' बनाना अधिक महत्वपूर्ण है'।

आपके अनुसार किसी अच्छे थाने में किन सुविधाओं और अवसंरचनाओं का होना आवश्यक है?

प्रत्येक थाने में एक रिसेप्शन काउंटर होना आवश्यक है जहां अच्छे व्यवहार के संबंध में प्रशिक्षित पुलिसकर्मी द्वारा आगंतुकों को बैठाकर उनका कार्य समझकर उन्हें सही अधिकारी के पास पहुंचाना चाहिए अथवा सही सलाह देकर रवाना करना चाहिए। रिसेप्शन काउंटर के साथ–साथ एक सूचना डेस्क का होना भी आवश्यक है जहां थाने में चल रहे प्रत्येक अनुसंधान, जांच, वैरीफिकेशन आदि की वर्तमान स्थिति उपलब्ध होनी चाहिए ताकि उस डेस्क का प्रभारी अथवा रिसेप्शनिस्ट द्वारा आगंतुकों को उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा सके। अगर थाने के प्रवेश द्वार के पास इसके लिए स्थान उपलब्ध नहीं है तो थाने के बाहर एक अस्थाई कॉटेज बनाकर उसमें यह रिसेप्शन काउंटर तथा सूचना डेस्क चलाया जा सकता है। रिसेप्शन काउंटर में आगंतुकों के लिए पानी एवं बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि, महिलाओं की समस्याओं के प्रति पुलिस को और अधिक संवेदनशील कार्य करना आवश्यक है, थाने में एक महिला डेस्क भी होना उपयुक्त रहेगा जहां प्रशिक्षित महिला कर्मचारियों को पदस्थापित करना चाहिए।

नये थाना भवनों के डिज़ाइन में बदलाव लाना आवश्यक है जिससे उन स्थानों को अलग करना चाहिये जहां पब्लिक का आवागमन ज़रूरी हो। उन जगहों को अलग करना चाहिए जहां हवालात, मालखाना ऑफिस आदि हैं तथा पुलिसकर्मियों के बैरक आदि को अलग करना चाहिए। आम जनता को केवल पहले क्षेत्र में ही आने जाने की ज़रूरत होनी चाहिए। थाने के संतरी को हवालात एवं मालखाने के पास रखना चाहिए।

थाने के कार्यालय में कार्य करने वाले कांस्टेबल के अलावा अन्य कांस्टेबलों को बैठाकर कार्य करने हेतु अधिकतर थानों में कोई स्थान चिन्हित नहीं है। जो कांस्टेबल बीट व्यवस्था एवं फील्ड ड्यूटी संभाले हुए हैं उन्हें बैठकर काम करने हेतु एक कमरा तैयार कर वर्क स्टेशन बनाना तथा प्रत्येक कांस्टेबल को एक अलमारी उपलब्ध कराना आवश्यक है।

थानों में प्रत्येक अनुसंधान अधिकारी को बैठकर काम करने का आवश्यक स्थान उपलब्ध होना चाहिए तथा कांस्टेबल को पर्याप्त मात्रा में बैरिक, मैस आदि सुविधा के साथ–साथ एक मनोरंजन कक्ष भी होना आवश्यक है। पुलिसकर्मियों को चाय आदि बनाकर पीने हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना उपयोगी रहेगा। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में हर स्तर के पुलिसकर्मियों के लिए तथा अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा पुलिस थानों के नजदीक होना आवश्यक है। अधिकतर पुलिस थानों में एक वाहन रहता है जो ज्यादातर थानाधिकारी के उपयोग में आता है। थानों की आवश्यकता के अनुसार हर थाने में २ अथवा अधिक वाहन होने चाहिए। अनुसंधान, गश्त, आदि कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में मोटर साइकिल की व्यवस्था भी आवश्यक है। राज्य के अथवा जिले के समस्त फील्ड पुलिसिंग में लगे हुए प्रत्येक पुलिस कर्मी को सरकारी खर्च में मोबाईल फोन उपलब्ध कराना चाहिए।

समस्त थाना परिसर चाहे वह आवासीय परिसर है अथवा कार्यालय परिसर अथवा बाहर के स्थान पूर्ण रूप से साफ सफाई के साथ रखना चाहिए जिसका पुलिसकर्मियों के मनोबल पर एवं आत्मसम्मान पर सीधा असर पड़ेगा। मालखाने का जो सामान बाहर पड़ा है वह व्यवस्थित रूप से जमाना चाहिए।

सामुदायिक पुलिसिंग के संदर्भ में माईक्रोमिशन–२ के अंतर्गत क्या विशेष काम किये गये हैं?

मुझे यह कहने में गर्व है कि राष्ट्रीय पुलिस मिशन के समस्त माइक्रोमिशन में सबसे ज्यादा सक्रिय माइक्रोमिशन–२ रहा है तथा उसी माइक्रोमिशन द्वारा सबसे अधिक रिपोर्ट भी बी.पी.आर. एण्ड डी. तथा गृह मंत्रालय को सौंपे गये थे। मेरी सेवानिवृति तक मैं इस माइक्रोमिशन का ग्रुप लीडर था। अभी भी मैं इसका सदस्य हूं। इस माइक्रोमिशन द्वारा ६ रिपोर्ट बी.पी.आर. एण्ड डी. तथा गृह मंत्रालय को सौंपी गयी हैं जिसमें से Overarching Model of Community Policing, Student Police Cadet Project, Community Counseling Centers एवं Soft Skills Training गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त Community Policing for Naxal Affected Areas, Crime Reduction through Dispute जिनमें

शेष पृष्ठ २ पर .....

बूझो और जीतो–२२

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड में हम आपराधिक कानूनों में हुए नए संशोधनों और बाल यौन शोषण सम्बन्धी कानूनों से प्रश्न पूछ रहे हैं। दोनों बेहद उपयोगी कानून हैं, इसलिए अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लें।

हांलाकि, इस बार भी पहले की ही तरह आपसे केवल ५ प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों के सही उत्तर मिलने पर लकी ड्रा से विजेताओं का नाम निकाला जाएगा। यदि किसी के ५ से कम प्रश्नों के उत्तर सही हों तब उसे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। इस कारण ऐसा सम्भव है कि किसी अंक में कोई भी विजेता न हो।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. क्या किसी बच्चे द्वारा बयान दर्ज कराते समय पुलिस को उसकी विडियो रिकॉडिंग भी करना चाहिए? यदि 'हां', किस प्रावधान के अंतर्गत?

२. क्या अलगाव के दौरान बलात्कार की रिपोर्ट पत्नी के माता–पिता द्वारा दर्ज कराई जा सकती है?

३. बाल यौन उत्पीड़न के अपराधी को क्या दण्ड दिया जा सकता है?

४. क्या दर्शनरति (voyeurism) के आरोपी को पुलिस ज़मानत दे सकती है?

५. क्या अदालत को एफ.आई.आर. रद्द करने का अधिकार है? क्या मजिस्ट्रेट एफ. आई.आर. रद्द कर सकते हैं?

बूझो और जीतो – १६ का परिणाम

जूलाई २०१३ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२६ क के अनुसार किसी व्यक्ति पर तेज़ाब फेंक कर उसे घायल करने के लिए उसे कम से कम १० वर्ष के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

२. यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम २०१२ की धारा २६ (१) के अनुसार मजिस्ट्रेट या पुलिस द्वारा बच्चों का बयान दर्ज करते समय उनके माता पिता या ऐसे किसी भी व्यक्ति का उपस्थित होना आवश्यक है जिस पर बच्चे को विश्वास हो।

३. भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७६ के अंतर्गत चोरी करने के लिए अपराधी को ३ वर्ष का कारावास या जुर्माना चुकाने या दोनों दण्ड दिया जा सकता है।

४. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६० के अंतर्गत ६५ वर्ष से अधिक उम्र के पुरूष को भी पुलिस पूछ–ताछ के लिए थाने में नहीं बुला सकती है, बल्कि उनके निवास स्थान पर ही पूछताछ किया जाएगा।

५. नहीं, एक नाबालिग हत्यारे को सत्र न्यायालय दण्ड नहीं दे सकता बल्कि उसे बाल न्याय बोर्ड द्वारा ही दण्ड दिया जा सकता है।

विजेता

१. श्री हरि प्रसाद, कांस्टेबल, पुलिस लाईन, पौरी, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

नोट : विजेता को पुरस्कार की राशी शीघ्र ही भेज दी जाएगी।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या ईमेल करें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९
फैक्स : +९१-०११-२६८६४६८८
ई-मेल : zeenatmalick@gmail.com
वेबसाइट : http//www.humanrightsinitiative.org

सॉफ्ट स्किल्स्–नेतृत्व क्षमता तथा पुलिस कार्य

सॅफ्ट स्किल्स के अंतर्गत नेतृत्व क्षमता को एक अति महत्वपूर्ण स्किल माना जाता है। नेतृत्व क्षमता का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिस के माध्यम से कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को तथा व्यक्ति समूहों को प्रभावित कर सके तथा इस प्रभाव के माध्यम से किसी भी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करवा सके। अर्थात नेतृत्व क्षमता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नेतृत्वकर्ता व्यक्ति अपने से जुड़े हुये अन्य व्यक्तियों को किसी निश्चित दिशा में प्रभावित कर उनके माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर किसी संगठन अथवा कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल कर सके।

नेतृत्व क्षमता के ४ प्रमुख आधार है :–

१. नेतृत्वकर्ता – नेतृत्वकर्ता व्यक्ति के गुण, कौशल, ज्ञान का भंडार, अनुभव तथा मनोवैज्ञानिक व व्यवहारिक क्षमताओं के आधार पर ही उसके नेतृत्व करने की क्षमता तथा सफलता सुनिश्चित होती है।

२. अनुयाई/पालनकर्ता – अनुयाईयों तथा नेतृत्वकर्ता का परस्पर संबंध होता है। यह नेतृत्वकर्ता पर निर्भर है कि वह अनुयाईयों के क्षमताओं के अनुरूप उनकी क्षमता के आकलन के उपरान्त उन्हें आवश्यक नेतृत्व प्रदान करे। उदाहरण के लिये एक नवागन्तुक कर्मचारी को सघन नेतृत्व की आवश्यकता होती है जबकि एक अनुभवी कर्मचारी को लगातार सतत्व निर्देश देने की आवश्यकता नहीं होती।

३. संवाद – नेतृत्वकर्ता तथा उसके कार्यक्षेत्र व उसके अनुयाईयों के मध्य जितना भी कार्य तथा व्यवहार संचालित होता है उसका माध्यम संवाद है। नेतृत्वकर्ता व्यक्ति का संवाद कौशल – मौखिक तथा अशाब्दिक दोनों ही स्पष्ट तथा सशक्त होने चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि नेतृत्वकर्ता व्यक्ति में इमोशनल इन्टेलिजेन्स अथवा भावनात्मक बुद्धिमता प्रचुर मात्रा में होनी चाहिये ताकि वह व्यक्ति विशेष के संदर्भ को समझकर उससे संवाद स्थापित कर सके।

४. परिस्थिति – नेतृत्वकर्ता व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान करते समय परिस्थितियों का आंकलन कर परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने तथा भविष्य की योजना बनाकर क्रियान्वयन करने में पारंगत होना चाहिये।

नेतृत्व हेतु प्रमुख गुण

नेतृत्वकर्ता व्यक्ति में कुछ प्रमुख गुण तथा कौशल होने आवश्यक है जिन्हें संक्षिप्त में निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है –

१. अपनी क्षमताओं की पहचान करना तथा हमेशा बेहतर कार्य करने की कोशिश करना।

२. कार्य से जुड़ी विशिष्ट जानकारियों तथा ज्ञान से परिपक्व होना।

३. जिम्मेदारी का निर्वहन करना तथा अपने द्वारा किये गये कार्यो व लिये गये निर्णयों के संबंध में हमेशा जिम्मेदारी स्वीकार करना।

४. समय अनुरूप सटीक निर्णय लेना।

५. अपने द्वारा किये गये कार्यो से उदाहरण प्रस्तुत कर अन्य लोगों को प्रेरित करना।

६. अपने से जुड़े व्यक्तियों की पहचान करना, उनकी आवश्यकताओं को समझना तथा उनके हित के लिये सोचना तथा करना।

७. अपने से जुड़े कर्मचारियों/अनुयाईयों को हमेशा निर्णयों तथा गतिविधियों के बारे में सूचित रखना।

८. अपने से जुड़े कर्मचारियों में जिम्मेदारी का भाव विकसित करना।

९. यह सुनिश्चित करना कि दिये गये कार्यो की समझ कर्मचारियों में विकसित हो सके तथा उनका लगातार बारीकी से परीवेक्षण होता रहे।

१०. समस्त टीम के सदस्यों को प्रभावी रूप से प्रशिक्षित किया जाय यह सुनिश्चित करना।

११. कार्यक्षेत्र में उपलब्ध समस्त संभावनाओं का प्रभावी रूप से पूरा उपयोग करना ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

नेतृत्व की विभिन्न शैलियां

नेतृत्वकर्ता व्यक्ति विभिन्न प्रकार से नेतृत्व प्रदान करते हैं। भिन्न–भिन्न प्रकार के नेतृत्व प्रदान करने की शैलियों को विद्वानों ने ६ भागों में विभाजित किया है, जिन्हें निम्नानुसार संक्षेप में बताया जा सकता है –

१. बाध्यात्मक शैली – इस शैली के अंतर्गत नेतृत्वकर्ता व्यक्ति अनुयाईयों को किसी कार्य करने के लिये बाध्य कर्ता है तथा कार्य करने के मापदण्ड निर्धारित कर उसका अक्षरतः पालन कराने हेतु अनुयाईयों को निर्देशित करता है। पालन न होने की दशा में किसी प्रकार की बाध्यता अथवा सजा भी निर्धारित हो सकती है।

२. आधिकारिक/सत्ताधारी शैली– इसके अंतर्गत नेतृत्वकर्ता व्यक्ति अपने सत्ताधारी व्यक्तित्व तथा अधिकारों के आधार पर अनुयाईयों को कार्य सौपता है तथा कार्य करने हेतु स्पष्ट निर्देश देता है। इसमें निर्देशों का प्रवाह पूर्णतया एकतरफा होता है। नेतृत्वकर्ता आदेशात्मक लहजे में आदेश देता है तथा उसका पालन भी करवाता है।

३. सहभागिता शैली – इसके अंतर्गत नेतृत्वकर्ता, सहयोगी तथा सहभागी विचारधारा रखते हुये टीम के अन्य सदस्यों के साथ एकजुटता रखकर उनसे भावनात्मक एकता स्थापित करने के उपरान्त कार्य लेता है तथा स्वयं भी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिल–जुलकर साथियों के साथ कार्य करता है तथा मार्गदर्शन भी देता है।

४. प्रजातांत्रिक शैली – इसके अंतर्गत नेतृत्वकर्ता, प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हुये टीम के अन्य सदस्यों से विचार–विमर्श करता है उनके विचारों का समायोजन संगठन के निर्णयों में करते हुये, टीम में सभी को जो स्वीकार हो उस भावना को ध्यान में रखते हुये निर्णय लेकर कार्यो को संपादित करवाता है।

५. उच्च लक्ष्य निर्धाता शैली – इसके अंतर्गत नेतृत्वकर्ता, उच्च लक्ष्यों का निर्धारण कर लक्ष्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये कार्य संपादित करवाता है। यहां टीम के अन्य सदस्यों के मतों और भावनाओं तथा अन्य परिस्थितियों का कम संज्ञान लिया जाता है तथा मुख्य ध्येय लक्ष्यों का निर्धारण तथा उनकी प्राप्ति हेतु हर संभव प्रयत्न करना होता है।

६. प्रशिक्षक शैली – यहां व्यक्ति स्वयं को एक प्रशिक्षक अथवा गुरू के रूप में केन्द्रित कर टीम के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध रखते हुये उनकी कार्यक्षमताओं के विकास हेतु उनके साथ मिलकर लगातार कार्य करते हुये तथा उन्हें नई कार्य दक्षताओं के संबंध में समझाते हुये अनुयाईयों के विकास के साथ–साथ कार्यक्षेत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करता है।

उपरोक्त नेतृत्व शैलियों की जानकारी होने से हमें यह समझने में सहायता मिलती है की किसी कार्यक्षेत्र अथवा संगठन में नेतृत्व संचालन आमतौर पर किस प्रकार होता है। यहां शैलियों का वर्गीकरण करने से यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि एक व्यक्ति केवल एक ही शैली का इस्तेमाल एक समय में करेगा। एक ही व्यक्ति एक ही समय में एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न शैलियों में से कुछ–कुछ तत्वों का इस्तेमाल करते हुये मिश्रित शैलियों का उपयोग कर सकता है।

पुलिस का कार्यक्षेत्र तथा नेतृत्व क्षमता

पुलिस के कार्यक्षेत्र में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती है तथा इससे पुलिस की नेतृत्वक्षमता के कुछ विशिष्ट गुण सामने उभर कर आते है। पुलिस का कानून के पालन कराने वाली एजेन्सी के रूप में कार्य निर्धारण होता है, इस कारण पुलिस कार्य में कानून की परिधि में रहते हुये विभिन्न निर्णय लेने की बाध्यता होती है। आमतौर पर पुलिस अधिकारियों की नेतृत्व शैली बाध्यात्मक, आधिकारिक /सत्ताधारी शैली परिलक्षित होती है ऐसा माना जाता है। काफी हद तक यह सत्य भी है। पुलिस अधिकारी को विषम परिस्थितियों में जैसे – दंगा भड़कने की परिस्थिति में, प्राकृतिक आपदा आने की परिस्थिति में, किसी जघन्य अपराध होने की परिस्थिति में तथा ऐसी अनेकों परिस्थितियों में कानून की परिधि में रहते हुए उत्तेजित जनसमूहों के समक्ष तथा अन्य विषम परिस्थितियों में निर्णय लेकर उनका पुलिस बल की टीम के साथ तात्कालिक कार्य निष्पादन करना आवश्यक होता है। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस बल बिना चूक किये हुये संपूर्ण सजगता, ऊर्जा तथा कौशल से कार्य संपादित करे इस हेतु पुलिस अधिकारियों को आधिकारिक/ सत्ताधारी शैली तथा कभी कभी बाध्यात्मक शैली का उपयोग करना उनकी विशिष्ट कार्य आवश्यकताओं के कारण जरूरी हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस नेतृत्वकर्ताओं की इस शैली को मान्यता भी प्रदान की जाती है।

बाध्यात्मक शैली तथा आधिकारिक/ सत्ताधारी शैली सामान्य रूप से नकारात्मक गुणों वाली नेतृत्व शैली मानी जाती है। जो किसी भी संगठन के लिये समस्त परिस्थितियों में मान्य नहीं मानी जा सकती है। चूंकि भारतीय पुलिस का प्रादुर्भाव औपनिवेशीक व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था इस कारण ऐतिहासिक रूप से भारतीय पुलिस में सत्ताधारी शैली का इस्तेमाल हर प्रकार की परिस्थिति तथा सामान्य क्रियाकलापों में भी होने लगा। विगत वर्षो में यह विचार काफी प्रबल रूप से सामने आया है कि पुलिस की कार्य संस्कृति में प्रजातांत्रिक मूल्यों का संवर्धन होना चाहिये तथा पुलिस अधिकारियों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर अपने संगठन के भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करते हुये पुलिस टीम का नेतृत्व सकारात्मक नेतृत्व शैलियों जैसे प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली, सहभागी नेतृत्व शैली तथा प्रशिक्षक नेतृत्व शैलियों का भी अधिक उपयोग करते हुये पुलिस बल के भीतर भी प्रजातांत्रिक मूल्यों का संवर्धन करना चाहिये।

पुलिस सुधार अवधारणाओं के अंतर्गत यह माना जाता है कि नेतृत्वकर्ता पुलिस अधिकारियों को अपने नेतृत्व क्षमता तथा नेतृत्व शैलियों का पुनर्वलोकन करना चाहिये तथा कार्य संस्कृति में प्रजातांत्रिक संवर्धन करना चाहिये। पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिये तथा पुलिस के द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित पुलिस व्यवस्था आमजनता के लिये प्रदान करने हेतु पुलिस के आंतरिक संगठन में भी कार्य संस्कृति में बदलाव आना चाहिये।

– श्री विनीत कपूर
ए.आई.जी. मध्य प्रदेश पुलिस

पृष्ठ १ का शेष.....

Resolution, Community Police Resource Centers तथा Community Policing for Women स्वीकृति हेतु BPR&D तथा गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन है। १२वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुलिस मिशन के प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए ६३.२३ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिनमें से रूपये ६७.७२ करोड़ माइक्रोमिशन–२ के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रोजेक्ट आवंटित करने के लिए अनुशंसा BPR&D द्वारा गृह मंत्रालय को की गई है। माइक्रोमिशन–२ द्वारा अन्य १०-११ विषय पर भी प्रोजेक्ट तैयार करने का काम प्रगति पर है। माइक्रोमिशन–२ द्वारा भारत तथा विदेशी देशों में लागू की गई समस्त सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्थाओं का अध्ययन कर १६ सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रमों का एक Bouquet तैयार किया जा रहा है जिसमें से राज्य सरकार/पुलिस अधिकारी गण, स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यकतानुसार प्रोग्राम चुनकर स्थानीय स्तर पर लागू कर सकेंगे।

आपके विचार में थाना स्तर के पुलिस कर्मियों तक उनके काम से सम्बन्धित सूचनाओं को पहुंचाने के लिए क्या *'लोक पुलिस'* जैसी पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में उपयोगी है? इसे और रोचक एवं ज्ञानवर्धक बनाने के लिए क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे?

मैं सी.एच.आर.आई. के पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञों को *'लोक पुलिस'* मासिक पत्रिका के प्रकाशन के लिए बधाई देता हूं। इसमें निहित सामग्री एवं सूचनाएं पुलिस कर्मियों के लिए निःसन्देह उपयोगी है। इसे ओर अधिक उपयोगी बनाने के लिए मेरा सुझाव हैं कि इसमें –

(१) मानवाधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रीय प्रपत्रों का प्रकाशन किया जावें ताकि पुलिस कर्मियों को विभिन्न परिस्थितियों में मानव अधिकारों के संरक्षण अनुपालना एवं निगरानी के लिए उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी हो सके।

(२) समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, दलितों के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों, नये अधिनियमों/नियमों, सरकारी आदेशों का प्रकाशन किया जावें।

(३) महत्वूपर्ण 'केस स्टडीज' एवं निर्णयों को कहानी का रूप देकर रोचक बनाकर प्रकाशित किया जा सकता है।

(४) पुलिसिंग में उपयोगी नये–नये तकनीक आदि के बारे में भी प्रकाशन किया जा सकता है। इस तरह के प्रकाशन पुलिस कर्मियों के लिए मार्गदर्शक एवं लाभदायक होंगे।

(५) पुलिस अधिकारियों के द्वारा अपनाई जा रहीं सर्वश्रेष्ठ कार्य पद्धतियों के प्रकाशन एवं पुलिसकर्मियों के व्यवहार एवं कार्य दशा में सुधार के लिये छोटे–छोटे व्यवहारिक उपायों के प्रकाशन से *'लोक पुलिस'* अपने उद्धेश्य को अधिक अच्छी तरह से प्राप्त कर सकेगी।

अन्त में, मैं कामना करता हूं कि *'लोक पुलिस'* के प्रकाशन का क्रम भविष्य में निर्बाध्य रूप से चलता रहे और इसके माध्यम से समस्त पुलिसकर्मियों को उपयोगी, सूचनाप्रद एवं महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे।

क्या आप जानते हैं?

इस खण्ड के अंतर्गत हम गृह मंत्रालय द्वारा ४ जनवारी २०१२ को जारी और सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों को भेजी गई साईबर क्राईम एडवाइज़री को आपकी सूचना के लिए प्रस्तूत कर रहे हैं।

बच्चों के विरूद्ध साईबर क्राईम निवारक व प्रतिरोधक एडवाईज़री

कंप्यूटर और इंटरनेट के फैलने से साईबर क्राईम, कानून लागू करवाने वाली एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। नई पीढ़ी जो इंटरनेट व अन्य ऑनलाईन तकनीकों का व्यापक उपयोग, दिन प्रतिदिन के कार्यों, मनोरंजन, आपस में जुड़े रहने के लिए ई–मेल, सोशल नेटवर्किंग, ई–बैंकिंग, ई–शॉपिंग, वेब–टी.वी., न्यूज़, शिक्षा, होमवर्क रिसर्च, ऑलाईन गेमिंग, डाउनलोडिंग म्यूज़िक, वीडियो, मूवी आदि के लिए करती हैं, उनके साईबर क्राईम का टारगेट बनने की संभावना अधिक है। यह प्रायः साईबर स्टॉकिंग, साईबर बुलिइंग, चाईल्ड पोर्नोग्राफी, उत्पीड़न, ईमेल या सोशल नेटवर्किंग एकाउंट को हैक करना, पहचान चुराना, यौन सामग्रियों का अनचाहा प्रदर्शन आदि। उपरोक्त शब्दों का संक्षिप्त विवरण भी अगामी अंकों में प्रस्तूत किया जाएगा।

बच्चों के विरूद्ध साईबर अपराधों को रोकने और प्रभावपूर्ण रूप से इसका मुकाबला करने के लिए कई स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर निम्नलिखित मुख्य कार्यवाहक बिन्दू तय किये गये हैं।

१. कानून लागू कराने वाली एजेंसियों जैसे कि – पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका आदि और आम जनता को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम /सेमीनार और कार्यशालाओं के माध्यम से सूचना तकनीक अधिनियम, २००० और सूचना तकनीक संशोधन (अधिनियम), २००८ और इसकी नियमावलि का उपयोग करने के प्रोत्साहित करें क्योंकि यह साईबर अपराध, जिसमें बच्चों के साथ इस प्रकार का अपराध भी शामिल है, से निपटने के लिए प्रभावपूर्ण कानून है। यह प्रशिक्षण बच्चों के विरूद्ध अपराधों से निपटने के विशिष्ट मकसद से होना चाहिए।

२. बाल न्याय (देखरेख एंव संरक्षण) अधिनियम २००६ की धारा ६३ के अंतर्गत गठित स्पेशल जूवनाईल पुलिस यूनिट को साईबर अपराधों में लिप्त कानून के विरूद्ध बच्चों को भी संभालने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।

३. माता–पिता, शिक्षकों और बच्चों को संदेहपूर्ण व्यवहार की शिकायत दर्ज कराकर, ऐसे वेबसाईट जो शोसक फोटो और वीडियो के परिचारक हैं और बच्चों को यौन शोषण के लिए भर्ती करने के लिए तैयार करना का प्रयत्न करते हैं, की सूचना देकर सक्रिय भुमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में साईबर क्राईम के बारे में बढ़ती जागरूकता को मॉनिटर करने में विशेष सावधानी बरतनी होगी ताकि बच्चों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव न हो। प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग भी उचित रूप से किया जा सकता है।

४. सोशल नेटवर्किंग वेबसाईटों और उनकी सेवाओं को भी मॉनिटर और नियंत्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह देखा गया है कि इन पर बहुत अधिक अश्लील सामग्रियां मौजूद होती हैं जो बच्चों को यौन सम्बन्धित क्रियाकलापों एंव अन्य अपराधों की ओर लुभाता है। माता–पिता, शिक्षकों और ऑनलाईन कंम्पयूटिंग सुविधाओं के मालिकों को "पैरेंटल कंट्रोल सॉफ़्टवेयर" को कार्यान्वित करने के लिए इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि नकली आयू, लिंग और पहचान के अवसर को कम किया जा सके। इसके कार्यान्वयन में बहु आयामी सत्सापन और अन्यसुरक्षा तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए।

५. डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित एंव नियंत्रित करने के लिए तथा उचित ढ़ंग से संरक्षित करने के लिए कानून लागू कराने वाली एजेंसियों और डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण करने वालों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

६. बाल पीड़ितों की पहचान और अपराध के बाद के प्रभावों से निपटने के लिए सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए।

७. ऑनलाईन बाल सुरक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में काम कर रही गैर सरकारी संगठनों से मदद और सहारा मांगना चाहिए।

८. जो लोग बच्चों से सम्बन्धित हेल्पलाईन पर काम कर रहे हों जैसे कि – १०९८ या पुलिस कंट्रोल रूम, उनके लिए कौशल विकसित करने के लिए कार्यक्रम तथा विशेष संवेदीकरण प्रोग्राम करने के बारे में सोचना चाहिए।

९. राज्य पुलिस के वेबसाईट, सोशल नेटवर्किंग साईटों और वेब ब्राउज़रों पर बच्चों का एक कोना रखने की सलाह दी जाती है जिसमें सहज भाषा में इंटरनेट सुरक्षा टिप्स, तथा कठिनाई के समय संपर्क करने के लिए हेल्प लाईन नंबर तथा ई–मेल का पता लिखा जा सकता है।

१०. प्रत्येक साईबर कैफे के रजिस्टरों और रिकॉर्ड को किसी केन्द्रीय स्थान से चेक करने के लिए एक यंत्रावलि विकसित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

११. माता–पिता एंव बच्चों में मोबाईल इंटरनेंट सुरक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

१२. यह हमेशा देखा गया है कि कप्यमटर फौरेंसिक लैब में डिजिटल साक्ष्यों की प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है। राज्यों को अपना स्वंय का एक केन्द्रीय और प्रांतीय कंप्यूटर फौरेंसिक लैब बनवाने के बारे में सोचना चाहिए। इलॉक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को उचित समय पर संरक्षित करने के लिए मोबाईल साईबर फौरेंसिक वैन भी उपयोगी होंगे। साईबर लैब और प्रशिक्षण को स्थापित करने के लिए NASSCOM की सहायता भी ली जा सकती है। NASSCOM के अलावा दूसरी एजेंसियों जैसे कि NTRO, CERT-In आदि को भी प्रशिक्षण के लिए लिया जा सकता है।

१३. उचित केसों में, पुलिस अधिकारी इंटरनेट अपराधियों को पहचानने के लिए अंडरकवर साईबर पेट्रोल ऑपरेशन के अंतर्गत बच्चों के रूप में उन्हें बेवकुफ बना सकते हैं और गिरफ़्तार कर सकते हैं। इस काम को सूचना तकनीक अधिनियम २००० की धारा ७२ एंव ७२(क) के अंतर्गत करना चाहिए।

१४. तलाशी के लिए द.प्र.सं. की धारा १०० के कानूनी प्रावधान के अलावा या सूचना तकनीक संशोधन अधिनियम की धारा ८० भी किसी इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को इसका अधिकार देती है इसे भी उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है।

१५. भारत के आँकड़ा संरक्षण काउंसिल द्वारा प्रकाशित "साईबर क्राईम इंवेस्टिगेशन मैन्यूअल" नामक किताब उपयोगी है और इसे रेफर किया जाना चाहिए।

१६. जब कभी भी यह देखा जाता है कि सूचना या सहायता भारत के बाहर से मंगाने की ज़रूरत है तब सी.बी.आई. के इंटरपोल डिविज़न को संपर्क करना चाहिए और Mutual Legal Assistance Treaties and Letter of Rogatories (LRs) का उपयोग किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के लीगल सेल द्वारा ३१.१२.२००७ को जारी सर्कुलर नं २५०१६/१४/२००७ को इस संदर्भ में दिशा–निर्देश के लिए देखा जा सकता है। हांलाकि, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि LRs प्रायः बहुत समय लगाते हैं और जब तक LRs जारी किया जाता है तब तक डिजिटल (साक्ष्य) अपना पद चिन्ह खो देती है। सी.बी.आई. की G8 24x7 डेस्क जो साईबर अपराध के अंतरराष्ट्रीय पहलू और नेटवर्क को देखती है, को संपर्क करना चाहिए।

१७. जहां कही भी कोई ऐसी सामग्री जो सूचना तकनीक अधिनियम २००० की धारा ६७, ६७ (क) ६७ (ख) के अंतर्गत आती हो और वह किसी भी वेबसाईट पर देखी जाती है और जो धारा ६६ (क) से 'लोक शांति' या 'संज्ञय अपराधों के करने के लिए उत्तेजना रोकने' के दायरे में आता है, ऐसे केसों में पुलिस को सूचना तकनीक प्रक्रिया और लोक नियम २००६ द्वारा सूचना को ब्लॉक करने के प्रावधानों को लागू करने पर विचार करना चाहिए।

१८. जो वेबसाईट ऑनलाईन गेटिमंग या बच्चों पर केन्द्रित तत्वों का आयोजन करती है उन्हें इंटरनेट सुरक्षा से सम्बन्धित विशिष्ट निर्देश जारी करना चाहिए। जो साईटें सूचना तकनीक अधिनियम २००० की धारा ६७, ६७ (क) ६६, ६६ (क) और (ख) के प्रावधानों के विरूद्ध अश्लील सामग्रियों को प्रकाशित करती हैं, रखती हैं या ट्रांसमिट करती हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

१९. उचित केसों में पुलिस को सोशल नेटवर्किंग साईटों से अप्रिय तत्वों को हटाने का निवेदन करना चाहिए। सर्वाधिक देखी जानी वाली व लोकप्रिय साईटों का सुरक्षा की दृष्टि से ऑडिट किया जाना चाहिए। इनमें से कई का उपयोग या तो व्यवस्था से समझौता करने के लिए या बच्चों को लुभाने व उत्तेजित करने के लिए किया जा रहा है।

उपरोक्त सुझाए गए उपाय केवल परिचायक हैं राज्य और केन्द्र शासित राज्य प्रशासन इसके अतिरिक्त कोई अन्य आवश्यक बच्चों के विरूद्ध साईबर क्राईम निवारक व प्रतिरोधक उपायों को भी लागू कर सकते हैं। इस मंत्रालय को भी ऐसे किसी उपाय के अपने क्षेत्र में अपनाने के बारे में सूचित करें ताकि इसे दूसरे राज्यों आदि में अपनाने के लिए/विचार के लिए भेजा जा सके।

प्रेषक – गृह सचिव

आपके विचार

संपादिका जी,

नमस्कार!

लोक पुलिस के अगस्त का अंक प्राप्त हुआ और दुर्भाग्यवश दो महीने के बाद इसे पढ़ने का अवसर मिला। पिछले महीने मुझे यह पढ़ने को नहीं मिल सकी थी क्योंकि हमारे थाने में इसकी केवल एक ही कॉपी आती है इसलिए यदि सम्भव हो, इसकी ३-४ प्रतियां भेजने का कष्ट करें।

अगस्त के अंक में मुझे सुमन नालवा जी के विचार बहुत अच्छे लगे, विशेषकर जूवनाईल अपराधियों के रिकॉर्ड को नष्ट करने के जो दुष्परिणाम हो सकते हैं, मैं उससे शत प्रतिशत सहमत हुँ। इस पत्रिका के माध्यम से मैं यह कहना चाहुंगा कि जितनी जल्दी हो सके बाल न्याय कानून में संशोधन किया जाना चाहिए और कोई वैकल्पिक पद्धति अपनाने पर विचार करना चाहिए ताकि बाल अपराधियों के रिकॉर्ड को जांच पड़ताल करने के लिए बाद में भी उपयोग किया जा सके अन्यथा इससे समाज को खतरे से नहीं बचाया जा सकेगा।

धन्यवाद!
हेड कांस्टेबल, सतना
सदस्य, मध्य प्रदेश पुलिस

महोदया नमस्कार!

अगस्त २०१३ का अंक बड़ा ही आकर्षक लगा क्योंकि इस बार सभी लेख अत्यंत रोचक और सामयिक विषयों पर आधरित थे। साक्षात्कार तो अच्छा था ही साथ ही 'न्यूनतम बलप्रयोग, बेहतर पुलिसिंग' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख भी सराहनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस को कई बार तुरंत निर्णय लेना होता है और इस कारण भी इनकी कार्यवाही घातक हो जाती है जैसे कि दिल्ली के इस यूवक की जान पुलिस की गलती से चली गई। लेकिन, पुलिस को उस क्षण उन बाईक सवारों को रोकने का कोई और तरीका शायद नहीं मिला होगा, इसलिए यह दुर्घटना हो गई।

मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हुं लेकिन, अनेकों बार परिस्थिति हमारे वश में नहीं होती और निरोध के लिए चलाई जाने वाली गोली से किसी की जान चली जाती है, जोकि बहुत दुखद भी है।

सब इंस्पेक्टर
दिल्ली पुलिस

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

बाल गृह: क्यों भागते हैं बच्चे?

मध्य प्रदेश के रेवा ज़िले के एक सुधार गृह से कम से कम ३५ जूवनाईल जो कई संगीन अपराधों जैसे कि–बलात्कार, हत्या, चोरी, मारपीट के आरोपी थे, वे रसोइये को मारकर भाग गए।

रसोइया अरूण दूबे ने बताया कि जब वह अंदर गए तब जो बच्चे जेल में थे उन सबने मिलकर उन्हें अंदर खींच लिया और मारना शुरू कर दिया और उनकी पिटाई करके सुधारगृह की चाभी छीन ली और ४० में से ३५ बच्चे सुधार गृह से भाग गए। रसोइये ने यह भी बताया कि उनमें से एक बच्चे ने बाथरूम जाने की शीघ्रता जताई थी जिस कारण वह उस समय अंदर गए थे लेकिन उनके अंदर घुसते ही उन सबने हमला कर दिया और बाहर भाग गए। गार्ड के अनुसार इस घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए डी. एस.पी. और एस.पी. दोनों ही आए थे।

इसी प्रकार की एक और घटना केवल ३ दिनों के बाद राजधानी दिल्ली के 'मजनु का टीला' नामक सुधार गृह में हुई, जहां १६ क़ैदी सुरक्षा गार्ड से लड़ कर भाग गए।

१२८ में से तकरीबन ६० कैदी जो १८ वर्ष से कम आयू के थे, अपने कमरों के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और परिसर में खाना बनाने वाली गैस पाईपलाईन को पिघला दिया। पुलिस अधिकारी राकेश कुमार के अनुसार सुरक्षा गार्डों ने उन्हें पकड़कर रोकने की कोशिश की लेकिन उनमें से ३३ भाग निकले।

हांलाकि, पुलिस ने बाद में उनमें से १४ को वापस पकड़ लिया लेकिन १६ भाग निकले। दिल्ली के उत्तर पश्चिम में स्थित यह सुधार गृह दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जाता है।

हो सकता है उपरोक्त दोनों स्थानों पर पुलिस भागे हुए बच्चों को पकड़कर वापस बाल गृह या जूवनाईल होम में क़ैद कर ले लेकिन, इस प्रकार तोड़फोड़कर और कर्मचारी की पिटाई करके एक साथ इतने बच्चे क्यों भाग गए और इसे कैसे रोका जाए?

दिल्ली हो या मध्य प्रदेश का रेवा, देश भर में बाल गृह का वातावरण और अवसंरचना इतनी जर्जर स्थिति में है कि जिन किशोर अपराधियों को वहां सुधार के लिए रखा जाता है उसमें सुधार न होना १०० प्रतिशत निश्चित है। वहां जाकर बच्चों में कोई पछतावा या डर देखने को नहीं मिलता और इसी कारण जब वे बाहर आते हैं तब पक्के ईरादे वाले कठोर अपराधी बनकर निकलते हैं। इसके कई उदाहरण हैं जैसे कि जिस बच्चे को बलात्कार और हत्या के लिए बाल गृह में रखा गया ३ वर्ष के बाद जब उसे रिहाई मिली तब उसने मृतक के परिवारवालों को वैसा ही हाल उनकी दूसरी बेटी का करने के लिए धमकाया। एक अन्य उदाहरण के तौर पर १५ वर्ष की आयू में हत्या करके आगरा में ३ वर्ष सुधार गृह में व्यतीत करने के बाद रिहा होकर दोबारा १६ वर्ष की आयू में उस युवक ने एक २३ वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी। ऐसे अनगिनत अपराधियों की सूची मिल जाएगी।

हमारे देश में लगभग ६४ प्रतिशत अपराध १६-१८ वर्ष की आयू के बीच के किशोरों द्वारा किया जाता है, लेकिन देश भर में उनके सुधार का काम केवल कागज़ों पर ही होता दिखाई पड़ता है। सरकारी सुधार गृहों की स्थिति और भी बुरी है। इन सुधार गृहों में बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के अपराधों का आंकड़ा सबसे अधिक तकरीबन १७८ प्रतिशत है जिसमें १५० प्रतिशत यौन अपराध लड़कों के साथ वहीं के स्टाफ और पुराने कैदियों द्वारा किया जाता है जिन्हें बचाने कोई भी नहीं आता है।

वास्तविकता यह है कि यह सभी बाल सुधार गृह कहलाने वाले संस्थान कठोर अपराधियों के निर्माण की फैक्टरी बन गए हैं। ऐसे में जहां सरकार को तुरंत उचित बजट आवंटित करके सबसे पहले इन सुधार गृहों की अवसंरचना का पुनः निर्माण करना चाहिए, वहीं विभिन्न स्टेकहोल्डरों को भी कानून सम्मत काम करने के लिए उचित प्रोत्साहन और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जूवनाईल अफ़सरों को बच्चों से अपने व्यवहार में हर चरण में पूरी तरह संवेदनशीलता और सहजता बरतनी होगी, हांलाकि, बच्चों का अधिकतर संपर्क बाद में जूवनाईल वेल्फेयर ऑफ़िसर व सुधार गृह के स्टाफ के साथ होता है, उनकी भर्ती के समय ही योग्यताओं का विश्लेषण करके नियुक्ति देनी चाहिए तथा बाद में इन सर्विस प्रशिक्षण के रूप में आवश्यक मानकों एंव नियमों का उचित ज्ञान दिया जाना चाहिए ताकि वे इसका पालन अनिवार्य रूप से करें, इसकी मॉनिटरिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है राज्य बाल सुरक्षा आयोग के नोडल अफसर द्वारा सरप्राईज़ विज़िट करना।

(सौजन्य: संडे पायनियर, ८ सितंबर २०१३ एंव डी. एन.ए.इंडिया डॉट कॉम, ३ व ६ अक्टूबर २०१३)

चेन्नई: हिरासत में प्रताड़ना के लिए मुआवज़ा

मद्रास उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि पुलिस द्वारा प्रताड़ना के शिकार व्यक्ति को मुआवज़ा प्राप्त करने का अधिकार है, उस पीड़ित युवक को ५०,०००रू का मुआवज़ा देने का आदेश दिया जिसे पुलिसवाले घर से उठाकर ले गए थे और हिरासत में उसे प्रताड़ित किया था। दरअसल, १६ वर्षीय अरूण को १६ जून २०१२ को आधी रात के बाद ८ पुलिसवाले घर से उठाकर ले गए थे और थर्ड डिग्री टॉर्चर किया था।

पुलिस किसी चोरी के केस के सिलसिले में इस यूवक को ले गई थी। जब तक उसकी मां को इसका पता चला तब तक उसे सैदापेट सब जेल में डाल दिया गया था। जब तक मां को उसके ठिकाने की सूचना मिली वह न्यायिक हिरासत में था। फिर, मां ने मुलाकात में पाया कि उसके १६ वर्षीय बेटे के शरीर पर कई जगह चोट और जलने का निशान था। पूछने पर अरूण ने मां को बताया कि किस प्रकार पुलिस वालों ने उसे टांग कर छड़ आदि से मारा और ३ अलग–अलग थानों में अवैधानिक रूप से रखा। बाद में, उसकी मां ने पुलिसकर्मियों के विरूद्ध उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।

इस पर निर्णय देते हुए न्यायाधीश श्री एन.पॉल वसंथकुमार ने कहा कि "एक बार जब संदेह की सीमा से परे यह स्थापित हो जाता है कि पुलिस हिरासत में मानवाधिकार का हनन हुआ है, पीड़ित को मुआवज़ा पाने का अधिकार प्राप्त होता है।" न केवल यह बल्कि उन्होंने गृह सचिव को आगे इंक्वायरी करके गिरफ़्तारी व पूछताछ के समय प्रभारी अधिकारी पर ज़िम्मेदारी निर्धारित करने और उनसे मुआवज़े की राशी निकलवाने का निर्देश दिया।

जब पहली बार यह केस प्रवेश के लिए आया था तभी न्यायाधीश श्री के. चंद्रु ने पीड़ित अरूण को बुलाकर उसका मेडिकल ईलाज का आदेश दिया था और उन्होंने त्रिवैलूर ज़िला जज को इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दायर करने को कहा था। मडिकल रिपोर्ट और न्यायिक जांच दोनों मे ही अरूण को हिरासत में प्रताड़ित किये जाने को स्थापित किया था। हांलाकि, सरकारी वकील ने अदालत में यह कहा कि उन घावों के निशान अरूण के शरीर पर पहले से ही थे और उसने रिमांड के समय अदालत से इसकी शिकायत भी नहीं की थी। लेकिन, उच्च न्यायालय ने इसे नकारते हुए पुलिस को दोषी माना और पीड़ित को ४ सप्ताह के भीतर मुआवज़े की राशी दिये जाने का आदेश दिया।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय निःस्संदेह दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों के लिए आंखे खोलने वाला है। जहां यह निर्णय उचित समय के भीतर पुलिस पर दोषसिद्धि करता है वहीं मुआवज़े की राशी स्वंय अपराधी पुलिस अधिकारियों से एक महीने के भीतर निकलवाने का निर्देश एक अच्छा निरोधक कदम हो सकता है। पुलिसकर्मी जब स्वंय अपनी जेब से मुआवज़े की राशी देने के लिए बाध्य होंगे तब उन पर आर्थिक और पारिवारिक दबाव पड़ेगा जिस कारण वे भविष्य में ऐसा करने के पहले अवश्य सोचेंगे।

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम २२ सितंबर २०१३)

चंडीगढ़: पुलिस शिकायत प्राधिकरण का कार्यकाल बढाया जाए !

एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जिसमें वर्तमान में जनता के पास पुलिस के विरूद्ध शिकायत करने के लिए कोई भी फोरम न होने की बात कही गई थी और सरकार को आवश्यक देने का निवदेन भी किया गया था ताकि प्राधिकरण पुनः काम शुरू कर सके। पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रशासन को याचिका की सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि प्रशासन को प्राधिकरण के कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही नई नियुक्तियां कर देनी चाहिए थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

पिछले ३ वर्षों से कार्यरत पुलिस शिकायत प्राधिकरण का कार्यकाल २६ सितम्बर को समाप्त हो गया था और इसी कारण ६ अक्टुबर को जनहित याचिका दायर की गई थी।

जबकि सरकार की ओर से यह कहा गया कि प्रशासन ने प्रधिकरण के कुछ आदेशों का विरोध करते हुए अदालत में इसकी शक्ति को चुनौती देने के लिए पहले ही याचिका दायर किया है जिसमें इसके कई निर्णयों को अधिकारक्षेत्र से बाहर होने की बात कही गई है।

हांलाकि, इस जनहित याचिका की सुनवाई करते समय डिविज़न बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रशासन द्वारा नई नियुक्तियां न करने के कारण प्राधिकरण के काम को नहीं बंद किया जा सकता है। नियम के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की नियुक्ति करने के पहले उच्च न्यायालय की स्वीकृति भी लेनी होती है, जबकि अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तूत नहीं किया गया है। इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बेंच ने प्रशासन को एक महीने का समय दिया है ताकि वह नए सदस्यों की नियुक्ति कर ले और अगर ऐसा नहीं होता है तब न्यायालय ने पुराने सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने का आदेश दिया है।

यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि प्रशासन और प्राधिकरण में एक वर्ष से अधिक समय से तनाव चल रहा था और प्रशासन ने प्राधिकरण को शक्तिहीन बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी करके इसे सलाहकार निकाय की श्रेणी तक सीमित कर दिया था अर्थात इसके आदेश बाध्यकारी नहीं हो सकते थे। लेकिन, उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष १६ अक्टुबर को आदेश दिया था कि पुलिस शिकायत प्राधिकरण के आदेश बाध्यकारी होंगे और प्रशासन को अपनी अधिसूचना को यथानुसार संशोधित करे।

आशा है , प्राधिकरण जल्द ही काम पर लौट आएगा।

(सौजन्य: इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, १० अक्टूबर २०१३)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली :. ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स :. ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org